फैज़ अहमद किदवई आई.ए.एस.
प्रबंध संचालक-सह-आयुक्त

म.प्र. राज्य कृषि विपणन
(मंडी) बोर्ड

अर्द्ध शा. पत्र क्र. : B-6113/2032

दिनांक : 12/6/2019

मध्यप्रदेश में कृषि उपज का विक्रय कृषि उपज मंडियों के द्वारा सीधे नीलामी से किये जाने की व्यवस्था है, जो कि पूरे देश में संभवतः किसी भी अन्य राज्य में नहीं है। अधिकांश राज्यों में आढ़तिया प्रथा लागू है वहां आढ़तिया ही नीलामी करवाते हैं और कोई खुली पारदर्शी प्रक्रिया, जिससे उपज के सही दाम लग सकें, देखने को नहीं मिलती है। यह पूरी व्यवस्था मंडी प्रशासन के साथ–साथ वहां के व्यापारी, हम्माल–तुलावटियों तथा कृषकों पर टिकी हैं और सभी के सहयोग से कई वर्षों में सुचारू रूप से संचालित हैं। यदि इनमें से कोई भी अंग सही ढंग से कार्य नहीं करे तो व्यवस्था सुचारू रूप नहीं चल सकती है और इसमें विघ्न उत्पन्न होता है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कृषक है जिसकी उपज की विक्रय के लिए मंडियॉ बनाई गई हैं और यदि पारदर्शिता से कृषक को उसकी उपज का वाजिब दाम प्राप्त नहीं होता है तो इस व्यवस्था के औचित्य पर प्रश्नचिन्ह् लगता है।

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों की कार्यप्रणाली का आंकलन प्रतिवर्ष मुख्यतः मंडियों की आय एवं आवक को दृष्टिगत् रखते हुए किया जाता है। जिन मंडियों में आवक एवं आय में कमी परिलक्षित होती है उनसे इसके लिए कारण ज्ञात किये जाते हैं, जिसमें अधिकांश मंडियों के द्वारा निम्न कारण बतलाये जाते हैं – अल्प वर्षा, बोये गये रकबे में कमी, बोई गई फसलों में बदलाव, समर्थन मूल्य पर मंडी फीस प्राप्त नहीं होना, शासन द्वारा मंडी फीस में कमी/आयातीत जिन्सों में छूट इत्यादि।

उक्त सभी कारण सही है, परन्तु एक ही जिले/संभाग/जलवायु क्षेत्र में कुछ मंडियॉ इन सब कारणों के होते हुए भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए आवक एवं आय दोनों में सुधार लाती हैं, जबकि वहीं पर अन्य मंडियों की प्रगति नकारात्मक रहती है। अतः मंडियों की कार्यप्रणाली में आय एवं आवक केवल उपरोक्त कारणों पर निर्भर नहीं रहकर अन्य कारण भी मंडियों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं , जिनमें से निम्न कारण अति महत्वपूर्ण हैं :–

1– <u>भुगतान की व्यवस्था</u> :– प्रत्येक मंडी में कृषकों को उनके द्वारा बेची गयी उपज का भुगतान किस प्रकार किया जा रहा है – नगद/उधार/एनईएफटी/आरटीजीएस इत्यादि तथा कितने समय में किसानों को भुगतान प्राप्त हो रहा है। पूरे प्रदेश में नगद/त्वरित भुगतान वाली मंडियों में आय एवं आवक में सुधार हुआ है, जबकि अन्य मंडियों में विपरीत स्थिति देखने को मिली है।

किसान भवन, 26, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल–462004
दूरभाष : 0755–2553429, फैक्स : 0755–2553806
E-mail : mdmandiboard@gmail.com, Website : mpmandiboard.gov.in

2– मंडी में किसान को कृषि उपज विक्रय में लगने वाला समय (Turn Around Time) :– किसी भी मंडी में एक किसान को उसकी उपज विक्रय करने में कितना समय लगता है यह उक्त किसान द्वारा निर्णय लेने के लिए कि वह किस मंडी में अपनी उपज का विक्रय करेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। कुछ मंडियों में सभी कार्यवाहियॉ समय–सीमा में तथा त्वरित गति से होती हैं, जबकि अन्य मंडियों में 24 घण्टे से लेकर 48 घण्टे तथा अधिक आवक होने पर 72 घण्टे तक का समय लग जाता है, जो कि किसी भी किसान को हतोत्साहित करता है। इसलिए इसकी नियमित समीक्षा आवश्यक है और यह प्रयास होने चाहिए कि मंडियों में उक्त समय में निरन्तर कमी लाई जाकर किसानों को उनका संव्यवहार शीघ्रता से पूरा करवाने के प्रयास किये जायें।

3– अधिकतम लाट मात्र का निपटारा :– किसी भी कृषि उपज मंडी में पूरे वर्ष की आवक एक समान नहीं रहती है। फसल कटाई के बाद 2 से 3 माह आवक बहुत अच्छी रहती है, जबकि अन्य माहों में अनुपातिक तौर से कमी देखने को मिलती है। सभी मंडियों में इसकी पूर्ण तैयारी होनी चाहिए कि वह अधिकतम आवक के सीजन में किस प्रकार से अधिक आवक का नियत समय–सीमा में निपटारा कर सकें, इसके लिए भले ही नीलामी के समय में बदलाव, त्वरित तौल व्यवस्था तथा समय–सीमा में भुगतान इत्यादि के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने हों उठाये जायें और इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि किसी एक दिवस, एक सप्ताह अथवा एक माह जिसमें अधिक आवक रही है, उसमें कितने समय में उक्त आवक के निपटारे में कितना समय लगा है और विलम्ब के कारण यदि कोई हों तो उनका अध्ययन करके उन्हें दूर करने के उपाय करने चाहिए।

4– विक्रय की पारदर्शी प्रकिया :– विक्रय की पारदर्शी प्रकिया बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कृषक को न केवल इस बात का आभास हो कि विक्रय पारदर्शी है और व्यापारियों द्वारा किसी प्रकार का कार्टल बनाकर या एकजुट होकर बोली नहीं लगायी जा रही है।

5– व्यापारियों द्वारा कृषकों के भुगतान में व्यतिक्रम :– प्रदेश की लगभग 15 मंडियों में पिछले एक वर्ष में व्यापारियों द्वारा किसानों के भुगतान में व्यतिक्रम किया गया और कुछ प्रकरणों में व्यापारी स्वयं फरार हैं तथा कुछ प्रकरणों में मंडी कर्मचारियों की भी संलिप्तता पाई गई है। इससे मंडियों की प्रतिष्ठा पर प्रश्नचिन्ह उठता है और इस प्रकार के प्रकरण होते रहे तो किसान मंडियों के बाहर जाकर अपनी उपज विक्रय करने के लिए विवश होंगे, जिससे मंडियों की आय एवं आवक प्रभावित होगी।

6– मंडियों में विवाद, कार्य में बाधा, हड़ताल इत्यादि :– अनेक मंडियों में व्यापारियों, हम्मालों एवं तुलावटियों तथा कृषकों द्वारा विभिन्न मांग/समस्या को लेकर हड़ताल करी जाकर मंडी का कार्य बंद कर दिया जाता है और कभी कभार आकस्मिक तौर पर बिना किसी पूर्व सूचना के हड़ताल कर दी जाती है। इससे मंडी में आये हुए किसान सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं क्योंकि वह अपनी पूँजी लगाकर मंडी में विक्रय हेतु अपनी उपज लाते हैं और हड़ताल के कारण उन्हें अधिक समय तक रूकना पड़ता है तथा परेशानी के साथ–साथ अनावश्यक व्यय भी करना पड़ता है और यदि हड़ताल लम्बी चलती है तो किसानों को अपनी उपज वापस ले जानी पड़ती है और इस पूरी कार्यवाही में उनके द्वारा किया गया व्यय व्यर्थ जाता है और इसकी भरपाई किसी के द्वारा नहीं की जाती है। इसलिए मंडियों में हड़ताल और विशेषकर अघोषित हड़ताल की स्थिति कम–से–कम तथा नगण्य होनी चाहिए। इसके लिए मंडी प्रशासन छः माह अथवा एक वर्ष में यह देखे कि कितनी हड़ताल हुईं तथा कितने दिन क्रय–विक्रय प्रभावित हुआ और इस तरह के प्रकरणों को कम करने के निरन्तर प्रयास करने चाहिए।

7– मंडी कर्मचारियों/कृत्यकारियों का किसानों के साथ व्यवहार :– मंडी के कर्मचारियों तथा अन्य कृत्यकारी व्यापारी/हम्माल, तुलावटियों का किसान के प्रति किस प्रकार का व्यवहार है तथा जो नियमन व्यवस्था है उसमें पारदर्शी नीलामी, सही तरह से तौल, नियमानुसार शुल्क कटोत्रा, समय–सीमा में भुगतान के साथ–साथ किसानों के साथ मंडी कर्मचारियों की संवेदनशीलता तथा किसानों के साथ किया गया व्यवहार भी महत्वपूर्ण है। जिन मंडियों में उक्त व्यवस्था सही एवं सकारात्मक रहती है और मंडी प्रशासन द्वारा किसानों की सुनवाई होती है उन मंडियों की ओर किसान आकर्षित होते हैं भले ही अन्य मंडियों के अनुपात में वहां पर विकय मूल्य कम हों।

8– कृषकों को दी जाने वाली सुविधाएं :– मंडियों में कृषकों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं राज्य शासन , मंडी बोर्ड तथा कृषि उपज मंडियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं – जैसे कि 5/– थाली भोजन, कृषक विश्रामगृह, कृषि उपज विकय पर विपणन पुरस्कार योजना तथा अन्य सुविधाएं यथा – स्वच्छ पेयजल, शौचालय, सूचना एवं सहायता केन्द्र इत्यादि। इन सेवाओं की उपलब्धता एवं सही कियान्वयन होने से मंडी की साख बढ़ती है और किसान मंडी में माल बेचने के लिए प्रोत्साहित होता है।

9– मंडी कृत्यकारियों तथा कर्मचारियों के लिए पुरस्कार/सम्मान योजना :– इस संबंध में मंडियों में कृषकों, हम्माल–तुलावटियों तथा व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषकों हेतु ''कृषि विपणन पुरस्कार योजना'' लागू की गयी है। उसी तर्ज पर मंडियों में कार्यरत् लायसेंसधारी हम्माल एवं तुलावटियों के लिए ''मंडी हम्माल एवं तुलावटि सम्मान योजना 2018'' जुलाई, 2018 से तथा व्यापारियों के लिए ''मंडी व्यापारी सम्मान योजना 2019'' जून, 2019 से लागू की गयी है। इन योजनाओं का उद्देश्य मुख्यतः मंडियों के कृत्यकारियों को प्रोत्साहन के साथ–साथ आपस में स्वस्थ्य प्रतियोगिता की भावना विकसित करना है।

इसी के साथ–साथ मंडियों के कर्मचारियों के लिए प्रत्येक माह में मंडी के कर्मचारी, जिसके द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है, उसके नाम तथा फोटो सहित उललेखनीय कार्य की जानकारी नोटिस बोर्ड तथा स्पष्ट स्थान पर लगाई जाये। ऐसी कार्यवाही कई संस्थाओं के द्वारा अपने कर्मचारियों के उत्साह वर्धन तथा प्रोत्साहन के लिए की जाती हैं, प्रत्येक 26 जनवरी/15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्वों के कार्यकमों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाये। भविष्य में मंडियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने वाले कर्मचारियों के लिए बोनस तथा जिन मंडियों में आय में गिरावट हो रही है उनसे अनुपातिक तौर पर वेतन भत्तों में कटोत्रा करने की योजना पर विचार किया जा रहा है, इसके संबंध में आपको शीघ्र ही अवगत कराया जायेगा।

10– मंडी स्तर पर समिति का गठन :– उक्त समस्त बिन्दुओं पर कार्य करने के लिए मंडी में सचिव एवं अन्य कर्मचारियों की पदस्थापना की जाकर उनको जवाबदारी दी गयी है, परन्तु समस्त कार्य संपन्न कराना और सभी अंगों का मंडियों के कृत्यकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना काफी चुनौतीपूर्ण रहता है। इसके लिए आवश्यक है कि सचिव का सभी कृत्यकारियों से संवाद एवं समन्वय की स्थिति बने रहे और मंडी सुचारू रूप से व्यवसायिक तरीके से संचालित हो सकें। इसके लिए मंडी में एक अस्थाई समिति का गठन किया जा सकता है जिसमें सचिव सहित, व्यापारी संघ के प्रतिनिधि, हम्माल–तुलावटि संघ के प्रतिनिधि, क्षेत्र के प्रमुख चयनित किसान जो नियमित रूप से मंडी में अपनी उपज का विकय करते हों, मंडी के कर्मचारी तथा संबंधित उपयंत्री इत्यादि सदस्य के रूप में रखे जा सकते हैं और उक्त समिति प्रत्येक तीन माह में और हर सीजन से पहले मंडी की व्यवस्थाओं के बारे में सुधार के

साथ–साथ मंडी में किये गये व्यापार, मंडी द्वारा माह/सप्ताह एवं किसी दिवस में किये गये अधिकतम व्यापार, तथा निपटारे में लगने वाला समय, व्यवधान भुगतान व्यवस्था, तौल व्यवस्था इत्यादि की स्थिति एवं मंडी में आ रही समस्या/कठिनाई को देखते हुए आगामी समय में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, इस पर चर्चा कर उक्त सुधारों को लागू करने का प्रयास करेगी। समिति क्षेत्र/जिले की अन्य मंडियों से आय–आवक की तुलना कर प्रतियोगात्मक आंकलन, पिछले वर्ष की तुलना में आय–आवक में यदि कमी परिलक्षित हो तो उसे दूर करने का प्रयास करेगी। अनेक मंडियों में कुछ पुरानी प्रथा चली आ रही है जैसे ढेरी प्रथा इत्यादि जिससे मंडियों की नियमित कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है समिति उसे दूर करने के उपाय खोजे जाकर लागू कर सकती है।

इस कार्यप्रणाली /व्यवस्था को लागू करने का मूल उद्देश्य मंडियों में एक ऐसी परिपाटी लागू करना है जिसमें मंडी के सभी कृत्यकारी – कृषक, व्यापारी, हम्माल–तुलावटी अधिक–से–अधिक पारदर्शी तरीके से कार्यकुशलता के साथ मंडियों को संचालित करने में अपना सहयोग दें तथा विभिन्न मंडियों में आपस में एक स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो और किसानों में मंडियों के प्रति विश्वास और निष्ठा स्थापित हो।

कृपया इस पत्र की प्रति अधिक–से–अधिक मंडी कृत्यकारियों से साझा करें और इस संबंध में आपके द्वारा की जा रही कार्यवाही से मुझे अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से दो माह में अवगत करावें।

भवदीय

(फैज़ अहमद किदवई)

प्रति,

भारसाधक अधिकारी,
कृषि उपज मंडी समिति
मध्यप्रदेश.